जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 22.04.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 22.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री अजीत कुमार सिंह थाना बखिरा द्वारा अभियुक्तगण 01 नसरुद्दीन उर्फ नसरुल पुत्र अब्दुल रहमान निवासी बनकटवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, 02. मो0 परवेज उर्फ पट्टू पुत्र जमील निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे गोवंशीय पशुओं की हड्डी बरामद कर अभियुक्तो के विरुद्ध थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री उमाशंकर शाही द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 177/2015 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01 नसरुद्दीन उर्फ नसरुल पुत्र अब्दुल रहमान निवासी बनकटवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, 02. मो0 परवेज उर्फ पट्टू पुत्र जमील निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त नसरुद्दीन उर्फ नसरुल को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त मो0 परवेज उर्फ पट्टू को न्यायालय उठने तक की साज व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 306 वाहनों से 4,34,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 22.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 306 वाहनों से 4,34,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत एक बैंक कर्मचारी बनकर पीड़ित को एक अज्ञात ऐप डाउनलोड कराकर साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना मेंहदावल पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 20,000.00 रू की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना मेंहदावल टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाई करते हुए 01 युवक के खाते से एक बैंक कर्मचारी बनकर एक अज्ञात ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया और उसके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 20,000.00 रुपये की धोखाधड़ी की । साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाले गये 20,000.00 रुपये को वापस कराया गया । थाना मेंहदावल साइबर टीम द्वारा प्राप्त शिकायत पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए मामलें में पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड कर निकाली गई धनराशि को साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 एवं साईबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in के माध्यम से संबंधित बैंक / आनलाइन शापिंग प्लेटफार्म से समन्वय स्थापित कर कुल 20,000.00 रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।

घटना का विवरण-. अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा बैंक कर्मचारी बनकर पीड़ित को एक अज्ञात ऐप डाउनलोड कराकर साइबर ठगी किया, और आवेदक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 20,000.00 रुपये की धोखाधड़ी की, पीड़ित राम आशीष यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी हरपुर पंचनौरी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीर नगर के साथ 20,000.00 रुपये फ्रॉड हो जाने के उपरान्त हकीकत पता चलने पर पीड़ित को अहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरक्षी संदीप कुमार गौतम व आरक्षी दीपक सिंह, द्वारा तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33105260109111 पंजीकृत शिकायत को संज्ञान में लेकर संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से पूर्ण धनराशि को वापस कराया गया।

अपनी धनराशि वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन एवं साइबर टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

साइबर सेल टीम:- प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, आरक्षी संदीप कुमार गौतम , आरक्षी सौरभ कुमार, रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार।

1. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।

2. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।

3. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर दें।

जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।